

Ascension St. Vincent

वित्तीय सहायता नीति

10/01/2025

नीति/सिद्धांत

इस अनुच्छेद के नीचे सूचीबद्ध संगठनों (जिनमें से प्रत्येक “संगठन” है) की नीति है कि वे संगठन के परिसरों में आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्रदान करने हेतु सामाजिक रूप से न्यायोचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करेंगे। यह नीति विशेष रूप से उन मरीजों के लिए वित्तीय सहायता पात्रता को संबोधित करने के लिए बनाई गई है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और जो संगठन से देखभाल प्राप्त करते हैं। यह नीति Ascension St. Vincent के अंतर्गत निम्नलिखित संगठनों में से प्रत्येक पर लागू होती है:

St. Vincent Carmel Hospital, Inc. d/b/a Ascension St. Vincent Carmel

1. सभी वित्तीय सहायता व्यक्तिगत मानव गरिमा और सामूहिक हित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सम्मान को दर्शाएगी, गरीबी में रहने वाले और अन्य कमजोर व्यक्तियों के प्रति हमारी विशेष चिंता और एकजुटता को प्रकट करेगी, और वितरणात्मक न्याय और संसाधनों के ज़िम्मेदार प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाएगी।
2. यह नीति संगठन द्वारा प्रदत्त सभी आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल पर लागू होती है, जिसमें प्रयुक्त चिकित्सीय सेवाएं और व्यवहारात्मक स्वास्थ्य शामिल है। यह नीति गैर आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से अनावश्यक अन्य देखभाल के शुल्कों पर लागू नहीं होती है।
3. वित्तीय सहायता नीति के अंतर्गत आने वाले प्रदाताओं की सूची संगठन की सुविधाओं के भीतर देखभाल प्रदान करने वाले किसी भी प्रदाता की सूची देती है तथा यह निर्दिष्ट करती है कि कौन-से प्रदाता वित्तीय सहायता नीति के अंतर्गत कवर हैं और कौन-से नहीं।

परिभाषाएं

इस नीति के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

- “501 (r)” का अर्थ है आंतरिक राजस्व संहिता का अनुभाग 501 (r) और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम।
- “आम तौर पर बिल की गई राशि” या “AGB” का मतलब है, आपातकालीन और अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल के संबंध में, वह राशि जो आमतौर पर उन व्यक्तियों से ली जाती है जिनके पास ऐसी देखभाल को कवर करने वाला बीमा होता है।
- “समुदाय” का अर्थ है Ascension St. Vincent Carmel का प्राथमिक सेवा क्षेत्र, जो विशेष रूप से सीमित नहीं है, हैमिल्टन काउंटी है, जो सेंट्रल इंडियाना में स्थित है। यदि किसी मरीज को आवश्यक आपातकालीन और चिकित्सकीय रूप से ज़रूरी देखभाल, किसी अन्य Ascension Health सुविधा में प्राप्त ऐसी ही देखभाल की निरंतरता के रूप में चाहिए और उस सुविधा में मरीज ने उस आपातकालीन और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्रता प्राप्त की है, तो उस मरीज को भी संगठन के समुदाय का सदस्य माना जाएगा।
- “आपातकालीन देखभाल” का अर्थ ऐसी चिकित्सा देखभाल से है जो किसी ऐसी चिकित्सीय स्थिति के उपचार के लिए दी जाती है, जो तीव्र लक्षणों के रूप में प्रकट होती है (जिसमें गंभीर दर्द शामिल है), और जिसकी गंभीरता इतनी हो सकती

है कि तत्काल चिकित्सा ध्यान न मिलने पर शारीरिक कार्य करने में गंभीर हानि, किसी अंग या शरीर के भाग में गंभीर विकृति, या व्यक्ति के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डालने की संभावना हो सकती है।

- “चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल” का मतलब है ऐसी देखभाल जो (1) मरीज़ की स्थिति की रोकथाम, निदान, या उपचार के लिए उपयुक्त, संगत और आवश्यक हो; (2) मरीज़ की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त सेवा या सुविधा का स्तर हो जिसे सुरक्षित रूप से प्रदान किया जा सके (3) मुख्य रूप से मरीज़, मरीज़ के परिवार, चिकित्सक या देखभाल करने वाले की सुविधा के लिए न दी गई हो; (4) मरीज़ के लिए लाभ देने की संभावना अधिक हो, और हानि होने की संभावना कम हो। भविष्य की निर्धारित देखभाल को “चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल” नियत किए जाने के लिए उस देखभाल को और देखभाल के समय को संगठन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (या पदनामित व्यक्ति) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल का निर्धारण मरीज़ को चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने वाले लाइसेंसधारी प्रदाता द्वारा और, संगठन के स्वविवेक के आधार पर, भर्ती करने वाले चिकित्सक द्वारा, रेफ़र करने वाले चिकित्सक द्वारा, और/या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या समीक्षा करने वाले अन्य चिकित्सिक द्वारा (सुझाई जा रही देखभाल के प्रकार के अनुसार) किया जाना चाहिए। यदि इस नीति में कवर किए गए मरीज़ द्वारा अनुरोधित देखभाल को किसी समीक्षा करने वाले चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय रूप से आवश्यक नहीं निर्धारित किया गया है, तो भर्ती करने वाले अथवा रेफ़र करने वाले चिकित्सक द्वारा उस निर्धारण की पुष्टि की जानी आवश्यक है।
- “संगठन” का अर्थ है *St. Vincent Carmel Hospital, Inc. d/b/a Ascension St. Vincent Carmel*.
- “मरीज़” का अर्थ है वे व्यक्ति, जिन्हें संगठन में आपातकालीन और अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल प्राप्त होती है और वह व्यक्ति जो मरीज़ की देखभाल के लिए आर्थिक रूप से उत्तरदायी है।

प्रदत्त वित्तीय सहायता

इस अनुभाग में वर्णित वित्तीय सहायता केवल उन मरीज़ों तक सीमित है जो समुदाय में रहते हैं:

1. इस वित्तीय सहायता नीति के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत, जिन मरीज़ों की आय संघीय गरीबी स्तर (“FPL”) के 250% या उससे कम है, वे उन सेवाओं के शुल्क के उस हिस्से पर 100% चैरिटी केयर के लिए पात्र होंगे जिनके लिए मरीज़ बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के बाद उत्तरदायी है, यदि ऐसा मरीज़, प्रकल्पित स्कोरिंग (नीचे अनुच्छेद 5 में बताया गया है) के आधार पर पात्र पाया जाता है या मरीज़ के पहले डिस्चार्ज बिल के 240वें दिन या उससे पहले वित्तीय सहायता आवेदन (“आवेदन”) जमा करता है और संगठन आवेदन को मंजूरी दे देता है। यदि मरीज़ उसके पहले डिस्चार्ज बिल के 240वें दिन के बाद आवेदन जमा करता है, तो मरीज़ अधिकतम 100% वित्तीय सहायता के लिए पात्र रहेगा, लेकिन तब इस श्रेणी में मरीज़ के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता की राशि मरीज़ द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया राशि तक ही सीमित रहेगी। इस श्रेणी के वित्तीय सहायता के लिए पात्र मरीज़ से गणना किए गए AGB शुल्क से अधिक राशि नहीं ली जाएगी।
2. इस वित्तीय सहायता नीति के अन्य प्रावधानों के अधीन, ऐसे मरीज़ जिनकी आय FPL के 250% से अधिक लेकिन FPL के 400% से अधिक नहीं है, उन्हें उन सेवाओं के शुल्क के उस हिस्से पर स्लाइडिंग स्केल छूट दी जाएगी, जिनके लिए मरीज़ उत्तरदायी है और जो किसी बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के बाद बकाया हैं, यदि ऐसा मरीज़ अपने पहले डिस्चार्ज बिल के 240वें दिन से पहले या उसी दिन आवेदन जमा करता है और संगठन द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। यदि मरीज़ उसके पहले डिस्चार्ज बिल के 240वें दिन के बाद आवेदन जमा करता है, तो मरीज़ स्लाइडिंग स्केल छूट की वित्तीय सहायता के लिए पात्र रहेगा, लेकिन तब इस श्रेणी में मरीज़ के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता की राशि मरीज़ द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया राशि तक ही सीमित रहेगी। इस श्रेणी के वित्तीय सहायता के लिए पात्र मरीज़ से गणना किए गए AGB शुल्क से अधिक राशि नहीं ली जाएगी। स्लाइडिंग स्केल छूट इस प्रकार है:

जिन मरीज़ों की आय FPL के 251% से 300% FPL के बीच है, उन्हें 90% वित्तीय सहायता प्राप्त होगी
जिन मरीज़ों की आय FPL के 301% से 350% FPL के बीच है, उन्हें 80% वित्तीय सहायता प्राप्त होगी
जिन मरीज़ों की आय FPL के 351% से 400% FPL के बीच है, उन्हें 75% वित्तीय सहायता प्राप्त होगी

3. इस वित्तीय सहायता नीति के अन्य प्रावधानों के अधीन, जिन मरीज़ों की आय FPL के 400% से अधिक है, वे “साधन जांच” के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। इस जांच के आधार पर, मरीज़ की कुल चिकित्सा देनदारी को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के शुल्क पर कुछ छूट दी जा सकती है। यदि मरीज़ का कुल चिकित्सीय कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो, जिसमें आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल हेतु Ascension और अन्य किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का चिकित्सीय ऋण शामिल है, जो कि मरीज़ के परिवार की सकल आय के बराबर या उससे अधिक हो, तो ऐसा मरीज़ जीविका साधन जांच के बाद वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। साधन जांच के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का स्तर वही होगा जो ऊपर दिए गए अनुच्छेद 2 के अनुसार FPL के 400% आय वाले मरीज़ को दिया जाता है, बशर्ते कि ऐसा मरीज़ अपने पहले डिस्चार्ज बिल की तारीख से 240वें दिन तक या उससे पहले आवेदन जमा करे और वह आवेदन संगठन द्वारा स्वीकृत हो जाए। मरीज़ साधन जांच छूट के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए उस स्थिति में पात्र होगा यदि वह अपने पहले डिस्चार्ज बिल के 240वें दिन के बाद आवेदन जमा करता है, लेकिन इस श्रेणी में उपलब्ध वित्तीय सहायता की राशि केवल मरीज़ के खाते में की गई किसी भी भुगतान को ध्यान में रखने के बाद शेष बकाया राशि तक सीमित होगी। इस श्रेणी के वित्तीय सहायता के लिए पात्र मरीज़ से गणना किए गए AGB शुल्क से अधिक राशि नहीं ली जाएगी।
4. यदि किसी मरीज़ को “संपत्ति जांच” के अनुसार यह माना जाता है कि उसके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, तो वह ऊपर दिए गए अनुच्छेद 1 से 3 में वर्णित वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हो सकता है। संपत्ति जांच में, FAP आवेदन में मापी गई संपत्तियों की श्रेणियों के आधार पर मरीज़ की भुगतान करने की क्षमता का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। जिस मरीज़ की संपत्तियां उसकी FPL राशि के 250% से अधिक हों, वह वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हो सकता है।
5. वित्तीय सहायता के लिए पात्रता राजस्व चक्र के दौरान किसी भी समय निर्धारित की जा सकती है और उसमें 100% चैरिटी देखभाल निर्धारित करने के लिए मरीज़ के पहले डिस्चार्ज बिल के बाद पहले 240 दिनों के भीतर पर्याप्त बकाया राशि वाले मरीज़ के लिए प्रकल्पित स्कोरिंग सम्मिलित हो सकती है, भले ही मरीज़ ने वित्तीय सहायता आवेदन (“FAP आवेदन”) भरकर जमा ना किया हो। यदि मरीज़ को FAP आवेदन भरकर जमा किए बिना ही केवल प्रकल्पित स्कोरिंग के आधार पर 100% चैरिटी देखभाल प्रदान की गई हो, तो मरीज़ की वित्तीय सहायता की राशि की पात्रता मरीज़ द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरीज़ के अदत्त बकाया राशि तक सीमित रहेगी। प्रकल्पित स्कोरिंग के आधार पर पात्रता का निर्धारण केवल देखभाल के उन प्रसंगों पर ही लागू होता है जिसके लिए प्रकल्पित स्कोरिंग की गई हो।
6. ऐसे मरीज़ के लिए, जो निश्चित बीमा प्लान में भाग लेते हैं, जो संगठन को “नेटवर्क-से-बाहर” माना जाता है, संगठन वित्तीय सहायता को कम कर सकता है अथवा इससे इन्कार कर सकता है, जो मरीज़ की बीमा जानकारी और अन्य उपयुक्त तथ्य और परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर मरीज़ को अन्य प्रकार से उपलब्ध होगी।
7. मरीज़, अस्वीकरण की सूचना प्राप्त होने के चौदह (14) कैलेंडर दिनों के भीतर संगठन में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करके वित्तीय सहायता के लिए पात्रता के किसी भी अस्वीकरण के विरुद्ध अपील कर सकता है। अंतिम निर्धारण के

लिए संगठन द्वारा सभी अपीलों की समीक्षा की जाएगी। यदि अंतिम निर्णय वित्तीय सहायता के पिछले अस्वीकरण को स्वीकार करता है, तो मरीज़ को लिखित सूचना भेजी जाएगी। वित्तीय सहायता के लिए पात्रता से संबंधित संगठन के निर्णयों के विरुद्ध मरीज़ों और उनके परिवारों द्वारा अपील करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

- सभी अपीलों लिखित रूप में डाक द्वारा इस पते पर भेजा जाना चाहिए: Ascension St. Vincent, Vice President of Revenue Cycle, PO Box 713441, Chicago, IL 60677-4341.
- सभी अपीलों पर संगठन की वित्तीय सहायता अपीलस कमेटी विचार करेगी, और कमेटी का निर्णय अपील करने वाले मरीज़ या परिवार को लिखित में भेजा जाएगा।

वित्तीय सहायता के लिए योग्य न होने वाले मरीज़ों के लिए अन्य सहायता

मरीज़ जो ऊपर वर्णित अनुसार, वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं हैं, वे संगठन द्वारा दी जाने वाली अन्य किस्म की सहायता के लिए योग्य हो सकते हैं। पूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य से, सहायता के इन अन्य प्रकारों को यहाँ सूचीबद्ध किया गया है, हालाँकि ये आवश्यकता-आधारित नहीं हैं और ये 501(r) के अधीन नहीं हैं, लेकिन इन्हें संगठन जिस समुदाय को सेवा प्रदान करता है, उसकी सुविधा के लिए यहां शामिल किया गया है।

- अबीमाकृत मरीज़ जो वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं हैं उन्हें उस संगठन के लिए अधिकतम भुगतान करने वाले के लिए प्रदान की जाने वाली छूट के आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। अधिकतम भुगतान करने वाले को क्षमता या सकल राजस्व द्वारा मापी गई संगठन की आबादी का कम से कम 3% होना चाहिए। यदि कोई एक भुगतानकर्ता मात्रा के इस न्यूनतम स्तर पर नहीं पहुंचता है, तो एक से अधिक भुगतानकर्ताओं के अनुबंधों का इस प्रकार औसत लिया जाना चाहिए कि भुगतान की अवधि जिसे औसत लेने के लिए उपयोग किया जाता है वह उस वर्ष के लिए संगठन के व्यापार की मात्रा का कम से कम 3% हो।
- अबीमाकृत और बीमाकृत मरीज़, जो वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं वे शीघ्र भुगतान छूट प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्र भुगतान छूट, ठीक पिछले अनुच्छेद में वर्णित अबीमाकृत छूट के अतिरिक्त भी दी जा सकती है।

वित्तीय सहायता के लिए योग्य मरीज़ों हेतु प्रभार पर सीमाएं

वित्तीय सहायता के लिए योग्य मरीज़ों से व्यक्तिगत रूप से आपात स्थिति में और चिकित्सकीय तौर पर आवश्यक अन्य देखभाल के लिए AGB से ज्यादा और अन्य सभी चिकित्सीय देखभाल हेतु लिए जाने वाले सकल शुल्क से अधिक प्रभार नहीं लिया जाएगा। संगठन “लुक-बैक” विधि का उपयोग करके एक या अधिक AGB प्रतिशत की गणना करता है, जिसमें Medicare सेवा-हेतु-शुल्क और सभी निजी स्वास्थ्य बीमाकर्ता शामिल होते हैं जो संगठन को दावों का भुगतान करते हैं, और यह सब 501(r) के अनुसार किया जाता है। AGB की गणना के विवरण और प्रतिशतों की एक निःशुल्क प्रति संगठन की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है, या किसी भी मरीज़ पंजीकरण विभाग में जाकर या हमारे ग्राहक सेवा विभाग को कॉल करके भी प्राप्त की जा सकती है।

वित्तीय सहायता और अन्य सहायता के लिए आवेदन करना

कोई मरीज़ प्रकल्पित स्कोरिंग योग्यता के माध्यम से या पूर्ण रूप से भरा हुआ FAP आवेदन जमा करके वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करके वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकता है। FAP आवेदन और FAP आवेदन निर्देश संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, या किसी भी मरीज़ पंजीकरण विभाग में जाकर, या हमारे ग्राहक सेवा विभाग को कॉल करके डाक के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। संगठन में अबीमाकृत व्यक्ति को वित्तीय परामर्शदाताओं के साथ Medicaid या अन्य सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए काम करना होगा जिसके लिए मरीज़ वित्तीय सहायता हेतु संभावित रूप से पात्र माना जाता हो (प्रकल्पित स्कोरिंग के माध्यम से पात्र और अनुमोदित निर्धारित होने के मामलों को छोड़कर)। यदि कोई मरीज़ FAP

आवेदन में या प्रकल्पित स्कोरिंग पात्रता प्रक्रिया के संबंध में गलत जानकारी प्रदान करता है, या यदि मरीज़ बीमा से प्राप्त राशि को सौंपने या उस बीमा कंपनी से सीधे भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को देने से इनकार करता है जो प्रदान की गई देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकती है, या यदि मरीज़ वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने हेतु Medicaid या अन्य सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने में वित्तीय परामर्शदाता के साथ सहयोग करने से इनकार करता है (सिवाय उन मामलों के जहाँ प्रकल्पित स्कोरिंग के माध्यम से पात्रता निर्धारित और स्वीकृत हो चुकी हो), तो ऐसे मरीज़ को वित्तीय सहायता से वंचित किया जा सकता है। संगठन देखभाल के वर्तमान मामले के लिए पात्रता के संबंध में निर्धारण करते समय किसी भी पात्रता निर्धारण तिथि से छः माह से कम की अवधि से पहले पूर्ण किए गए FAP आवेदन पर विचार कर सकता है। संगठन किसी भी पात्रता निर्धारण तिथि से छह महीने से अधिक पहले पूरे किए गए FAP आवेदन पर विचार नहीं करेगा।

बिलिंग और वसूली

भुगतान न करने की स्थिति में संगठन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को एक अलग बिलिंग और वसूली नीति में बताया गया है। बिलिंग और वसूली नीति की एक निःशुल्क प्रति संगठन की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है, या किसी भी मरीज़ पंजीकरण विभाग में जाकर, अथवा हमारे ग्राहक सेवा विभाग को कॉल करके डाक के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

व्याख्या

यह नीति, सभी लागू प्रक्रियाओं के साथ मिलकर, 501(r) के अनुपालन के उद्देश्य से है और जहां विशेष रूप से संकेतित न हो, इसे उसी के अनुसार व्याख्यायित और लागू किया जाएगा।

Ascension St. Vincent Carmel

वित्तीय सहायता नीति द्वारा शामिल किए गए प्रदाताओं की सूची

10/01/2025

नीचे दी गई सूची यह निर्दिष्ट करती है कि अस्पताल सुविधा में प्रदान की गई आपातकालीन और अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल के कौन-से प्रदाता वित्तीय सहायता नीति (FAP) के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। **कृपया ध्यान दें कि आपातकालीन देखभाल और अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल को छोड़कर किसी भी प्रकार की देखभाल FAP के अंतर्गत किसी भी प्रदाता द्वारा कवर नहीं की जाती है।**

FAP द्वारा कवर किए गए प्रदाता

FAP द्वारा कवर नहीं किए गए प्रदाता

सभी St. Vincent Medical Group चिकित्सक	जॉन अब्राम्स MD
सभी St. Vincent नियोजित चिकित्सक	लेज़ले एब्राम्स टोब MD
ब्रेडन फ्रैंक MD	नोआ अगदा MD
क्रिस्टीन केली MD	अभिमन्यु अग्रवाल MD
	वैभव अग्रवाल MD
	जेफ्री एग्रीकोला DPM
	नहीद अहमद DMD
	जॉन एकर MD
	साज्जव एलेक्स MD
	मोना अल्कुलाली MD
	सेविट एम्डे MD
	कैरिन एंडरसन MD
	स्टैनटन एंगरमेयर MD
	एरिका एनास्पैच विल MD
	जॉन आर्बकल MD
	पेड्रो अर्बाबल MD
	एडवर्ड ऑल MD
	रिकिंडर बैस DO
	रॉबर्ट बाल्टेरा MD
	रॉबर्ट बैटलर MD
	केविन बीडल DDS
	जे बीगल DDS
	टेरेसा बीम MD
	विनायक बेलमकर MD
	ब्रिज़िट बेल MD
	सिंथिया बेनेडिक्ट MD
	बैरी बर्च MD

	डेब्रा बर्गमैन MD
	स्टेफ़नी बर्गस्टीन MD
	कार्लोस बेरियोस MD
	फ़ेरियल भाईजी MD
	रिचर्ड बिगरस्टाफ़ MD
	रुईमू बिरहिरे MD
	क्रिस्टिना बॉकोन MD
	क्रिस्टीन बोलिन MD
	सैली बूथ MD
	ब्रैडफ़ोर्ड बॉप MD
	अमांडा बॉर्न MD
	जॉन बोज़िक DDS
	कैथलीन ब्रैडली DDS
	एडम ब्राज़स MD
	मागरिट ब्रेंगल MD
	पॉल बुडेरिक DO
	बेथ ब्रोगन MD
	सेथ ब्रुगर्स MD
	मैरी ब्रूनर MD
	रॉडनी बुचर MD
	जेसन बकनर MD
	टोवा बुइकेमा DO
	सैमुअल बुलार्ड DDS
	कैथरीन बमगार्डनर DDS
	जेनिफ़र बुश MD
	ब्रेंडा काकुच्ची M
	जेम्स कैमरॉन MD
	नतालिए कास्तिलो MD
	मारियो सेडिलो MD
	रेचल छिबा DPM
	यूना चोई MD
	टे के चोंग MD
	जेम्स क्रिस्टेंसन MD
	हन्ना क्रिस्टोफ़र DO
	क्रेग सिएचुरा MD
	एंड्रिया सिफ़ाल्डी DPM
	डगलस सिफ़ुएंटेस DO
	ऐनी क्लार्क MD
	ब्रायन क्लार्क MD
	ऐन कॉलिन्स MD

	रॉबर्ट कोल्चर MD
	यूजीन कोन MD
	कैथ्रिन कोपलैंड MD
	क्लेयर कॉर्मियर DPM
	जेम्स कॉक्स MD
	माइकल क्रॉवेलो MD
	जेम्स कर्मिंग DO
	कारा ज़ारकोव्स्की DDS
	ऐन डेनियल MD
	रॉबर्ट डैरेग MD
	रॉबर्ट अचंल DO
	केसी डेलकोको MD
	डेबोरा डेल रोसारियो MD
	डेल डेलाक्वा MD
	जॉर्ज डेसिलवेस्टर MD
	कोमल धीरन MD
	डेविड डियाज़ MD
	टिमोथी डिके MD
	ब्रायन डियर्कमैन MD
	ग्रेगरी डिकॉस MD
	एंजेलिन डिओक्नो-मॉरिस MD
	जॉन डिन्समोर MD
	डैनह डो MD
	स्कॉट डोलेज MD
	संगेथ डुब्बिरेड्डी MD
	डॉन डबोइस MD
	जेम्स डुगन MD
	एलेन डुप्लर MD
	नताली ईडन DDS
	मिशेल एडवर्ड्स DDS
	पैट्रिक ईगन MD
	एड्रियन आइनहॉर्न MD
	स्वप्ना आइज़िंगर MD
	मारिया एर्मिटानो MD
	डेनियल एर्नी MD
	क्रिस्टोफ़र इवांसन MD
	जॉन फ़ेयरक्लोथ DO
	लॉरेंस फ़ैलेंडर DDS
	जोसेफ़ फ़ाटा MD
	विलियम फ़ेच MD

	क्लिफर्ड फ़िटर्स MD
	विलियम फ़िकेलमेयर MD
	एडम फ़िच MD
	डेनिस फ़्लैनेगन DDS
	ओलिविया फ़ॉडॉब्ल MD
	मैरी फ़ॉर्किन MD
	रिचर्ड फ़ोस्टर MD
	डगलस फ़्रैंक MD
	शेलेग फ़्रेज़र MD
	पॉल फ़्रेडरिक MD
	आर्थर गल्लिस्टयन MD
	स्टीवन गैनन MD
	जोनाथन जेंटाइल MD
	मैथ्यू जेंट्री MD
	क्रिस्टी जॉर्ज MD
	एरन जेरस्टीन MD
	एना जॉर्जिना गिले MD
	महेंद्र गोवानी MD
	स्टीफ़न ग्रीनफ़ील्ड MD
	अपराजिता गुप्ता DDS
	सुखविंदर गुरम DMD
	रॉबर्ट हबिग MD
	स्कॉट हैकेट MD
	फ़ैज़ा हैदर MD
	टेलर हैन MD
	फ़ैज़ा हैदर MD
	रिचर्ड हैलेट MD
	मार्क हैमिल्टन MD
	फ़्लोरा हैमंड MD
	कार्ल हांके MD
	जेम्स हार्डकर MD
	सैमुअल हार्मन MD
	रॉय हार्पर MD
	मॉटगोमेरी हैरिसन DO
	स्टीवन हॉग DDS
	चाड हेज़लरिग DDS
	ऑस्टिन हेंडरसन MD
	वर्जीनिया हेमेल्ट MD
	माइकल हेनरी MD
	सारा हिल MD

	कैथरीन हिलिकर
	स्कॉट हिमेलस्टीन MD
	जूली हिर्श MD
	जॉन हॉकेमा DDS
	मार्क होलब्रीच MD
	हेडेन होलब्रुक MD
	माइकल होपेन MD
	एमिली हिसोमालोस MD
	मेलिसा ह्यूबनर MD
	लेनी हफ़मैन DPM
	ब्रांडी ह्यूज MD
	टॉड हंटले MD
	ब्रिजेट हरी MD
	एरिक इनमैन MD
	कैरेन इज़राइल MD
	किरन इवातुरी MD
	सुज़ैन जैकब MD
	मैरीआन जैकब्स DO
	अरुण जैन MD
	लॉरेन जेम्स MD
	ब्रायन जेलिसन MD
	क्रिस्टोफ़र जोन्स MD
	लॉरा जुंटगन DMD
	मार्टिन कैफ़र MD
	डेविड कैहर MD
	मार्क कापेलमैन MD
	कॉस्मस केयस MD
	क्रिस्टीन केली MD
	जेनी खो-डफ़िन MD
	क्रिस्टीना किम MD
	क्रिस्टिन किंडरेड DPM
	कैथरीन कोब्ज़ा MD
	स्टीफ़न कोलिएस MD
	एडवर्ड कोवलोविट्ज़ MD
	डायना कोज़लोवस्की DDS
	कैथरीन क्राउज़ DMD
	एडवर्ड क्रोविएक MD
	केनेथ क्रुएगर DPM
	जेनिफ़र कुगर DDS
	क्रिस्टीन कुइन MD

	धनंजय कुलकर्णी MD
	पीटर कुंज MD
	बेंजामिन कुज़्मा MD
	केविन लाई MD
	केंट लैंकेस्टर MD
	मेरिडिथ लैंगहॉस्ट MD
	अर्ल लैटर MD
	कार्लो लाज़ेरो MD
	अल्बर्ट ली MD
	ब्रैडफ़ोर्ड लेगे DPM
	जेफ़्री लिबोविट्ज़ DPM
	टिमोथी लीन MD
	किम्बर्ली लेंट्ज़ MD
	लैरी लेट MD
	रेमंड लॉफ़र MD
	एंड्र्यू लाउडेन MD
	एरन लुडविग MD
	क्रिस मैगी MD
	जेम्स मालेन्कोस MD
	लीआ मार्टिनसन MD
	इंग्रिड मेसन MD
	पैट्रिक मैटूल MD
	राज मातुरी MD
	जिल मैजुरेक MD
	इयान मैक्लिस्टर MD
	माइकल मैककार्थी MD
	मैरी मैकेटीयर MD
	क्लेमेंट मैकडोनाल्ड MD
	ग्रांट मैकडॉगल MD
	मेलिसा मैकहेनरी DDS
	जैमी मैक्केवर MD
	रेचल मीक्स DO
	एलेक्स मेयर्स MD
	एंथनी मिलर DPM
	नॉर्मन मिंडरेबो MD
	जेम्स माइनर
	एमी मून MD
	डेविड मोंटेस DDS
	डेविड मॉर्गन DDS
	जैक मॉस MD

	ब्रायन मुल्हेरिन MD
	मरवान मुस्ताकलेम MD
	मार्टिना म्यूटन MD
	चार्ल्स नाकर MD
	डेविड नाथन MD
	केनेथ नेय MD
	कैथरीन निकोल्स DDS
	क्रिस्टोफ़र ओबीम MD
	एमी ओबर्हैलमैन MD
	वोजसिच ऑर्नोवस्की MD
	ब्रैडली ऑरिस MD
	विंसेंट ऑस्ट्रोव्स्की MD
	माइकल पन्नुन्ज़ियो MD
	डेविड पैटरसन MD
	आकाश पटेल MD
	डोनास पैटन MD
	ब्रैंडन पेट्रोन DO
	जेम्स फ़ेल्प्स MD
	एरिन फ़िलिप्स DDS
	जेम्स पाइक DO
	क्रिस्टोफ़र पोमेरोय MD
	स्टीवन पोर्टो DO
	ग्रेगरी पोल्टर MD
	फ़्रेडरिक प्रल MD
	मेरिडिथ प्रोवोस्ट MD
	इस्माइल कताश MD
	कोफ़ी क्विस्ट MD
	रेचल रैफल MD
	एंजेली रैम्पर्सैड MD
	जॉन रैमसे MD
	पवन राव MD
	समीना राव MD
	एड्रिएन रासबाक MD
	डेविड रैट्समैन MD
	आर्थर रेटिंग MD
	ग्रेगरी रिवील MD
	कीथ रिडेल MD
	मायसा रिधा MD
	स्टेफ़नी रिगेन MD
	कैरोलिन रॉबिन्सन MD

	ट्रॉय रोबर्सन MD
	गैविन रॉबर्ट्स MD
	डगलस रॉबर्टसन MD
	एशले रोबी MD
	कैरोलिन रॉबिन्सन MD
	केली रोब्रॉक MD
	ब्रूस रॉग्राफ़ MD
	जोसेफ़ रूमर MD
	एलेन साडोव MD
	मरम सर्ईद DO
	पीटर सैले MD
	डैनियल साल्वास MD
	एंड्र्यू सैम्पसन MD
	ब्रायन सैंडर्स DDS
	जेना संधू MD
	रिक सासो MD
	जेनिफ़र सैटरफ़ील्ड-सिगेल DDS
	एंड्र्यू सैटज़ MD
	डेविड शेडलर MD
	डोनाल्ड शिल्सन MD
	जोनाथन शिमिट MD
	जॉन श्लूटर MD
	वेंडी शुल्ट MD
	एलेन श्वार्टज़ MD
	ग्लेन श्वेक MD
	सिंथिया सेफ़र्निक MD
	कोडी शेफ़र MD
	जोनाथन शूक MD
	वेरा श्रेडर MD
	जेरोम सिल्वर MD
	बारबरा सिवी MD
	जेरी स्मार्ट MD
	जोनाथन स्मेरेक MD
	विलियम सोबत MD
	जेफ़री सोल्डैटिस MD
	लियो सोलिटो MD
	निकोल सोन MD
	जेरेमी स्पॉल्लिंग DPM
	कार्ल स्टीन MD
	किरा स्टॉकटन DDS

	रैंडल स्टोएज़ MD
	टिमोथी स्टोरी MD
	डैनियल स्टाउट MD
	डोनाल्ड स्ट्रॉबेल MD
	केनेथ स्टम्फ़ DPM
	रोनाल्ड सुह MD
	डेविड सुलिवन DPM
	जेम्स सुम्नर्स MD
	जेसिका स्वेनबर्ग MD
	एलेक्ज़ेंडर टैटम MD
	मैथ्यू टेलमैन MD
	जेम्स टैटर MD
	ऐडन थॉम्पसन MD
	जेरमी थर्गुड MD
	जेसन टॉमसिक DO
	जोसेफ़ टॉर्टोरिच DO
	नकुल वालसांगकर MD
	ब्रूस वैन नट्टा MD
	ज्योति वाराणसी MD
	अश्विन वासुदेवमूर्ति MD
	जेफ़्री वॉट MD
	एना वाज़क्वेज़ DMD
	स्टीवन वीच MD
	एलेज़ेंड्रो वेगा MD
	जॉर्ज वेस्टरमार्क MD
	जोस विटो MD
	जेनिफ़र विवियो MD
	हेलेन वांग MD
	ब्रिटनी वार्ड MD
	जेम्स वार MD
	एरोन वार्नोक DPM
	कैथरीन वॉट्स MD
	माइकल वेल्श MD
	हिराम व्हिटेकर MD
	क्रिस्टोफ़र विकमैन MD
	एलिज़ाबेथ विकस्ट्रॉम MD
	मैथ्यू विल MD
	टेड विंकलर MD
	कैथरीन विंस्लो MD
	क्रिस्टोफ़र विंटर्स DPM

	मैथ्यू वॉन्ग MD
	मार्क वायंट MD
	शिरा याहालोम MD
	अनिल यरुमी MD
	अबिदीन येकिनी MD
	जेसिका येन MD
	जुआन येपेस DDS
	मोहम्मद यूसुफ़ MD
	एडवर्ड ज़दोबिलक MD
	राव झोउ MD
	स्टीवन ज़िरकेलबाच MD
	चार्ल्स ज़ोल्मैन MD
	मार्सिन जुबेरेक MD